न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 17 / 2024

राज.सरकार प्रवर्तन निरीक्षक रसद, कार्यालय जिला रसद कार्यालय भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

श्री रोहितास पुत्र भगवान दास, जाति नाई, निवासी महुआ, जिला भरतपुर

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :–

1–पैरोकार सरकार रसद

निर्णय — **दिनांक 29.01.2025**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.09.2024 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निदेशन में प्रवर्तन स्टाफ हीरादास बस स्टैण्ड स्थित बजरंग होटल पर पहुँचे। मौके पर होटल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग रेग्यूलेटर, नली व चूल्हे के माध्यम से होटल पर प्रयुक्त किये जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डर उपस्थिति के सम्बन्ध में कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। मौके पर जप्त 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 4 किग्रा एलपीजी को मलाह इण्डेन गैस को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण जप्त 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 4 किग्रा एलपीजी को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस धारा 6वी ई0सी0 एक्ट जारी किया गया। अप्रार्थी वावजूद सूचना उपस्थित नहीं आया। ऐसी स्थिति में पैरोकार सरकार रसद की इकतरफा में बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यक गतिविधि के लिये कर रहा था। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 4 किग्रा एलपीजी राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

(2)

प्रा0पत्र / 17 / 2024
प्रवर्तन अधिकारी रसद बनाम रोहितास

पत्रावली का अवलोकन किया पैरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी से मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रुप से एलपीजी गैस का उपयोग होटल पर वाणिज्यक गतिविधी के लिये करता पाया गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय 4 किग्रा एलपीजी राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 4 किग्रा एलपीजी को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 4 किग्रा एलपीजी सम्बन्धित कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0 / 6 / 89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर